न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र ग्राम पं0 कुण्डेर

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 35/2018

निर्णय दिनांकः– 24.5.2018

उनवान

राजाराम पुत्र श्योनाथ जाति गुर्जर निवासी कुण्डेर तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादी

बनाम

1राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दु0 इन्द्राज

उपस्थितः– श्री के0एल0 ठाडा, वकील वादी
पेरोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादी को दिनांक 04.02.1983 को राजस्थान एवं भू सुधार विशेष अभियान मे साबिक आराजी ख0न0 1014/7 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाके ग्राम कुडेर तहसील उनियारा में आवंटित की गई थी तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तब से आज तक वादग्रस्त आराजी पर वादी का निरंतर बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा है। दौराने सेटलमेन्ट वादग्रस्त आराजी के नवीन ख0न0 725 बनाये गये है, जिसमे से कुछ भूमि अन्य खातेदारान के आवंटन होने के पश्चात हाल ख0न0 725 के नये ख0न0 2550/725 रकबा 1.71 है0 वाके ग्राम कुण्डेर बनाये गये है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का आवंटन के पूर्व से ही निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। आज भी मौके पर वादी आवंटत भूमि पर काबिज काश्त है। आवंटित आराजीयात 4 बीघा 12 बिस्वा को वादी को 10 वर्षीय गैर खातेदारी हक पर कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी, परन्तु अब तक भी उसका इन्द्राज राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद नही होने के कारण वादग्रस्त भूमि वर्तमान मे राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक दर्ज है, जबकि मौके पर वादी काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद नही होने से वादग्रस्त आराजी वादी के नाम गैर खातेदारी अथवा खातेदारी मे दर्ज नही तथा सिवायचक दर्ज है।इस कारण आये दिन पटवारी हल्का द्वारा वादी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने व सिविल कारावास भिजवाने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है।

यह कि वादी की अधियाचना है कि वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावे। आराजीयात ख0न0 2550/725 रकबा 1.71 है0 वाके ग्राम कुण्डेर तहसील उनियारा जिला टोंक मे से रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा की हद तक का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

उभय पक्षों को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कुण्डेर हेतु नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत मे सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। वादी मय वकील उपस्थित। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा उपस्थित। पेरोकार सरकार से जवाब लिया गया। उभय पक्षों को सुना गया।

हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल आवंटन आदेश दिनांक 4.2.83 के अनुसार भू आवंटन सलाहाकार समिति केम्प कुण्डेर दिनांक 4.2.83 को राजाराम पुत्र श्योनाथ निवासी कुण्डेर को आराजी ख0न0 1014/7 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा आवंटन की गई है। भू प्रबन्ध विभाग नकल मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक आराजी ख0न0 819/1/1/1/1 रकबा 2 बीघा व साबिक आराजी ख0न0 1014/7 मि रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा से हाल ख0न0 725 रकबा 2.21 है0 कायम हुये है। नकल जमाबन्दी ग्राम कुण्डेर संवत 2075–2078 मे आराजी ख0न0 2550/725 रकबा 1.71 है0 बंजड सि0चक दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल पी0 14 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर वादी व उसके भाई का अतिकमण होना पाया जाता है। वादी का वादग्रस्त आराजीयात पर निरंतर अतिक्रमण दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त भूमि वादी की आवंटित भूमि है । पेरोकार सरकार ने अपने जवाब मे अंकित किया है कि तत्कालीन समय आवंटन के वक्त न तो भूमि की कीमत कायमी का निर्धारण किया गया है और ना ही कीमत भूमि जमा करवाई है। वादी आवंटित भूमि की कीमत जमा कराने को तैयार है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादी की निरंतर काश्त का अंकन है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वादी का आवंटन के समय से ही वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अतः राजस्व लोक अदालत न्यायालय आपके द्वार की भावना के मध्यनजर रखते हुये वादी के वाद को डिक्री किया जाकर वादी को आराजी ख0न0 725 रकबा 1.71 है0 वाके ग्राम कुण्डेर तहसील उनियारा मे से 4 बीघा 12 बिस्वा की हद तक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा नियमानुसार कीमत भूमि जमा कराने के बाद राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.5.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कैलाश चन्द गुर्जर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कुण्डेर
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

राजाराम पुत्र श्योनाथ जाति गुर्जर निवासी कुण्डेर तहसील उनियारा जिला टोंक

— वादी

बनाम

1राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दु0 इन्द्राज

मुकदमा नम्बर :— 35 वर्ष 2018

वादी की ओर से श्री के0एल0 ठाडा वकील वादी व प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 24.5.2018 को श्री कैलाश चन्द गुर्जर, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि वादी को आराजी ख0न0 725 रकबा 1.71 है0 वाके ग्राम कुण्डेर तहसील उनियारा मे से 4 बीघा 12 बिस्वा की हद तक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा नियमानुसार कीमत भूमि जमा कराने के बाद राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner